

१३७७ २२-२-१९

रूप क्रमांक 4
(देखिये नियम 12)

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 19192 दिनांक 23-12-1987

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयत समिति "ज्ञानोदय शिक्षा समिति, 25 नया बाजार, नीमच जिला नीमच में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह "ज्ञानोदय शिक्षण समिति, ग्राम कनावटी तहसील नीमच जिला नीमच नाम से मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) की धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन पंजीयित की गई है।

दिनांक इक्कीस माह फरवरी सन् 2019



समितियों के रजिस्ट्रार
(दौलतराम सेहुरिया)
प्रभारी सहायक पंजीयक
पर्मर्श एवं संस्थाए उच्ज्ज्वल संभाल, उज्जैन

कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ उज्जैन संभाग, उज्जैन
प्रशासनिक भवन, उ. वि. प्राधि., ब्लाक-सी, तृतीय मंजिल, भरतपुरी, उज्जैन



क्रमांक / संशोधन / 160 / 1377 / 18

उज्जैन, दिनांक 22-2-19

अध्यक्ष / सचिव
ज्ञानोदय शिक्षण समिति
ग्राम कनावटी, नीमच
जिला नीमच (म.प्र.)

विषय:- संस्था के ज्ञापन / नियमावली में संशोधनों का रजिस्ट्रीकरण।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 15/02/2019

संस्था ज्ञानोदय शिक्षण समिति, 25, नया बाजार नीमच जिला नीमच पंजीयन
क्रमांक 19192 दिनांक 23/12/1987 पर पंजीकृत है। जिस पर मध्य प्रदेश सोसायटी
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के समस्त प्रावधान प्रभावशील है।


संस्था द्वारा नाम ज्ञानोदय शिक्षण समिति, ग्राम कनावटी नीमच जिला नीमच में
संशोधन किया गया है। संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत संशोधित ज्ञापन एवं नियमावली में
संशोधन का आज दिनांक 21/02/2019 को रजिस्ट्रीकरण किया जाता है।

कृपया संशोधित ज्ञापन / नियमावली के प्रावधानों का कठोरता से पालन करें।

(दौलतराम रोहरिया)
प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ उज्जैन संभाग, उज्जैन

ज्ञानोदय शिक्षा समिति की संशोधित नियमावली

१. संस्था का नाम : ज्ञानोदय शिक्षा समिति, नीमच
२. संस्था का कार्यालय : २५, नयाबाजार, नीमच
मकान नम्बर....
मोहल्ला का नाम—लक्ष्मीबाई मार्ग, नीमच
तहसील—नीमच, ज़िला—मंदसौर (म.प्र.)
३. संस्था का कार्यक्षेत्र : नीमच, मंदसौर ज़िला मध्यप्रदेश होगा।
४. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।



१. शिक्षा का प्रसार करना।
नवीन शिक्षा प्रणाली के आधार पर बाल मंदिर एवं माध्यमिक शालाओं का संचालन करना।
महिलाओं एवं बालकों के लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के साथ—साथ विद्यार्थियों को केरियर गाइडेन्स एवं व्यक्तित्व विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना एवं छात्र छात्राओं के लिये छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना।
२. बुनियादी, प्रशिक्षण (बीटीआई), बेचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) बेचलर ऑफ बिजेस मेनेजमेंट (बी.बी.ए) मास्टर ऑफ बिजेस मेनेजमेंट (एम.बी.ए) विद्यालयों का संचालन करना।
३. मूक बधिर एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना साथ ही व्यसन मुक्ति आदि का प्रचार प्रसार करना।
४. ज्ञानोदय शिक्षा समिति के निम्न लिखित श्रेणी के सदस्य होंगे—

(अ) आजीवन सदस्य— जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में १०१/- रूपया या अधिक देकर वह आजीवन सदरूप बन सकता है।

(ब) साधारण सदस्य— जो व्यक्ति रूपये ग्रति माह ११/- प्रतिवर्ष संस्था को चदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने बन्दा दिया है। है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छह माह तक देय चदे की राशि नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी, ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकेगा।

मोहल्ला
मोहल्ला

महिला
महिला


अध्यक्ष
अध्यक्ष

६. ज्ञानोदय शिक्षा समिति की सदस्यता की प्राप्ति—प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदक पत्र को स्वीकार करना या अमान्य करने का अधिकार होगा।

७. ज्ञानोदय शिक्षा समिति के सदस्यों की योग्यता—संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

- १— आयु १८ वर्ष से कम न हो।
- २— भारतीय नागरिक हो।
- ३— समिति के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।
- ४— सदृचारित्र हो तथा मैदानान न करता हो।

८. ज्ञानोदय शिक्षा समिति के सदस्यता की समाप्ति—



मृत्यु हो जाने पर।

पागल हो जाने पर।

संस्था को देय चेटे की रकम नियम ५ में बताये अनुसार जमा न करने पर।

त्यागपत्र देने पर। और वह स्वीकार होने पर।

५. चारित्रीक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिया जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

६. समिति की लगातार ३ बैठक में अनुपस्थित रहने पर।

७. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी। जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे।

१. प्रत्येक सदस्य का नाम व पता तथा व्यवसाय।
२. वह तारीख जिससे सदस्य को प्रक्रेत्र दिया गया हो व रसीद नम्बर।
३. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

८. ज्ञानोदय शिक्षा समिति की साधारण सभा—

(अ) साधारण सभा में नियम ५ में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशीत होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एकबार अनिवार्य होगी। बैठक का माह

कोषाध्यक्ष

सचिव

अध्यक्ष

तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर १५ दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी। बैठक का कोरम ३/५ सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से ३ माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गशीर्षन में पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव करवाया जावेगा।

- (ब) ज्ञानोदय शिक्षा समिति की प्रबंधकारिणी सभा—प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह में होगी, तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से ७ दिन के पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगा। बैठक का कोरम १/२ सदस्यों का होगा यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घटे लिए स्थिगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।



प्राप्तिशेष—यदि कम से कम संस्था कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का २/३ सदस्यों का लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके द्वये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी, किन्तु संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से १४ दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

११. ज्ञानोदय शिक्षा समिति की साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य

- (क) संस्था के पिछले बड़े का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना।

१२. ज्ञानोदय शिक्षा समिति की प्रबंधकारिणी का गठन—इस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य होंगे, नियम ५ (अ)(ब)(स) में द्वये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

अ— अध्यक्ष


स— सचिव

इ— कोडाध्यक्ष एवं सदस्य

ब— उपाध्यक्ष

द— संयुक्त सचिव।


कोषाध्यक्ष


सचिव


अध्यक्ष

१३. ज्ञानोदय शिक्षा समिति की प्रबंध समिति का कार्यकाल —प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति को यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि, नई प्रबंधकारिणी का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारण से नहीं हो जाता प्रबंध करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि ६ माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

१४. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य—

अ— जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है। उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

प्रिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

समिति एवं उसके अधिन संबलित संस्थाओं के कर्मचारियों के बेतन तथा भत्ते का भुगतान करना। संस्था की चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जाएं।

च— संस्था की समस्त चल— अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ— संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रर की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जावेगी।

ज— विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार— विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों २/३ मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।


१५. ज्ञानोदय शिक्षा समिति की अध्यक्ष के अधिकार —अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषय में निर्णयात्मक होगा।

१६. उपाध्यक्ष के अधिकार — अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।


१७. सचिव (मंत्री) के अधिकार —

(१) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो ग्राह हो प्रस्तुत करना।

(२) समिति की आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण,

 सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

कोषाध्यक्ष

 सचिव

 अध्यक्ष

(३) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंध कारिणी को देना।

(४) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये १००/- व्यय करने का अधिकार होगा।

(५) सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के समस्त अधिकार संयुक्त सचिव को होंगे।

१८. कोषाध्यक्ष के अधिकार — समिति की धरमराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

१९. ज्ञानोदय शिक्षा समिति का बैंक खाता — संस्था की समस्त निधि स्टेट बैंक ऑफ, इन्डौर में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये १००/- रहेंगे।

~~पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी — अधिनियम की धारा २७ के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से १४ दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी। तथा धारा २८ के अंतर्गत संस्था की परीक्षीत लेखा भेजी जावेगी।~~

संशोधन— संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के २/३ मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसे पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।


२२. विघटन— संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के ३/५ मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगा। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।


२३. संपत्ति— संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की चल अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्टर फर्म एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अतिरित नहीं की जा सकेगी।

२४. बैंक खाता— संस्था की समस्त निधि स्टेट बैंक ऑफ इन्डौर, रहेगी एवं समय—समय पर धन जमा करने एवं निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

२५. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना— संस्था की पंजीयत नियमानबली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थी विषय निश्चित कर सकेगा।

२६. विवाद— संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से मुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को सतोष न हो तो वह रजिस्टर की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे रजिस्टर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्टर को होगा।


कोषाध्यक्ष

 CW
सचिव पंजीयन क्र. १९१९२ दि. २३-१२-४८
राजप्रधानियमाबली की प्रवाणित प्रतिलिपि २२-६-१८-८-८


ब्रिस्टेट इंडिया बैंक
पट्टम छत्र अंशधारों द्वारा दाना दर्शन

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, मोहाली

=====

संक. क्रमांक 6-309/शासन/नजून/96

मोहाली, दिनांक:

मृति,

कलेक्टर,

जिला - नीमच,

महिना

विध्ययः - शासनोदय शिक्षण तमिति, नीमच को भूमि का आवंटन।

राज्य शासन, ग्राम छनाकटी तहसील नीमच जिला नीमच की सत्रा नं. 23/1
खंड 23/2 में से 2.254 हेक्टर भूमि बिना प्रब्ल्याजिकिन्हु वार्षिक मू-माटक स्पेय 4853/-
प. या र व्याचार आठ तो तिथ्यन् । तेकर दोनोदय शिक्षण तमिति, नीमच को ऐर्पणित
प्रयोजन हेतु तामान्य ग्रामों के साथ-साथ निम्न विशेष ग्राम पर त्पाई बट्टे पर आवंटन
को लिखा प्रदान करता है:-

१। यह कि पर्दि दी गई ग्राम या उसका कोई भी भाग या उत पर निर्मित मध्यन
अवां उत्का कोई भी भाग उस विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों को छोड़ जिसे
लिये दो गई हो, तिसी अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाए तो शासन
उसे छिना कोई नोटिस दिये वापस ले लेगा ।

२। भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किये जाने
ले अनाधिकृत क्षेत्र भानेकर भूमि शासन में निहित कर तो जायेगी या ग्राम
का पूर्ण व्याचार मूल्य देय पेनल्टी आदि के ताप लिया जायेगा ।

३। भूमि के छिनी भी उपयोग या इत पर किसी भी नियमित के पूर्व सभी आवश्यक
अनुमतियाँ, अनुमोदन एवं जनापनितयाँ लंबंधा स्थानीय संस्थाओं नगर निगम,
नगर तथा ग्राम निवेश आदि से लेनी होगी तथा सास्टर प्लान व व्यवस्था
संरक्षण अधिनियम आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा ।

४। आदेश जारी होने को तिथि से अंतेकक/संस्था ते प्रब्ल्याजिकी तम्मूर्ण राशि व
मू-माटक को राख छ: माह के अन्दर जमा करावें, यदि वे निर्धारित अवधि
तक प्रब्ल्याजिकी व मू-माटक जमा नहीं करते हैं तो आवंटन आदेश स्वयं निरर्गत

112// 108/R-320/202/1102/202

2/ यह स्वीकृति, तथा 1विभाग के पृष्ठों 108/R-320/202/1102/202
दिनांक 3. 3. 2020 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश लिपर को पृष्ठांशित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम है
तथा आदेशानुसार

॥ ऐसो इन्हें ॥
अबर लंचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मोमात, दिनांक: 11(2)2020
— 3. 3. 2020

पृष्ठों 09/08/ 6-309/96/शासन/नंजूल

प्रातलिपि:-

11. जान जातिरिपत प्रातियों साड़ित लंचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, गोपाल
को ओर आदेश को प्राप्त महालेखाकार, मध्यप्रदेश लिपर को पृष्ठांशित की गई है।

12. आयुवा, उज्जैन संभाग उच्चन को ओर सूचनार्थ देखित।

13. श्री अनिल चौरसिया, लंचिव, शानोदय 1 शख्ता समिति, 32, लक्ष्मीबाई नगर,
नीमय की ओर सूचनार्थ।

अबर लंचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

1/प्रमो/1102//

कार्यालय कलेक्टर जिला-नीमच ॥ग्रामपुरदेश॥

क्रमांक/-----/मंजूल/2000

नीमच, १ दिनांक: / ३/2000

प्राप्ति,

तहसीलदार,
नीमच

विषय: ज्ञानोदय गिरण समिति नीमच को ग्राम कनावटी के सर्वे क्रमांक 23/। व 23/2 में से रक्षा-2.254 हेक्टर भूमि का कळजा प्रदान करने वापर्त् ।

संदर्भ: म.प्र. गारान राजस्व विभाग भोपाल के आदेश ग्रामांक सफ-6-30% सात्र/नंजूल/96 भोपाल १ दिनांक ।।. २. २०००/७. ३. २०००

-०-०-०-

विषयान्तर्गत संदर्भत आदेश संस्था ज्ञानोदय गिरण समिति नीमच को ग्राम कनावटी के सर्वे क्रमांक 23/। सर्व 23/2 में से रक्षा-2.254 हेक्टर भूमि बौंगर प्रब्लयजी किंतु रुपये ५, 853/- के वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित की है । आवेदक द्वारा शासनादेश अन्तर्गत वार्षिक भू-भाटक का 10 गुना पंजीकृत मूल्य जमा भरवाकर ऐसे लाई है उन्हें भू-भाटक कमा करने हेतु भुक्ति प्राप्त कर ली है ।

आत: विषयान्तर्गत भूमि का कळजा आवेदित रोखथा दो प्रदान करें, तथा आदेश के पालन में आभ्लेख में अग्रलक्षण संशोधित खसरा-नवका प्राप्त सर्व दो ग्राम में कळजा रसीद इस कार्यालय को ग्रामप्रस्तुत करें ।

संलग्न: संदर्भत आदेश की फोटोप्रति
पटवारी रिकार्ड हेतु ।

प्रभारी आधिकारी,
वास्त्रे-कलेक्टर, जिला-नीमच
नीमच, १ दिनांक: ३/३/2000

पृ. क्र./--१०--/नंजूल/2000

प्राप्तिलिपि:-

सचिव, ज्ञानोदय गिरण समिति नीमच की ओर गेलकर लेख है कि ग्राम तहसीलदार नीमच से समार्क कर भूमि का कळजा प्रदान करें ।

प्रभारी आधिकारी,
वास्त्रे-कलेक्टर, जिला-नीमच